मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2 /12/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों को स्वीकृत अग्रिम के समायोजन विलम्ब से कराये जाने के संबंध में ।

---•••---

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 9 एवं मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम -7 एवं सहायक नियम 284 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो । मांग की प्रत्याशा में बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकलना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है ।

2/ संचित निधि से राशि आहरित कर शासकीय सेवकों को विभागीय कार्य सम्पादन, यात्रा व्यय आदि के लिये अग्रिम प्रदान किये जा रहे है । यह तथ्य ध्यान में आया है कि उक्त अग्रिमों का समायोजन नियत तिथि तक नहीं कराया जा रहा है जिस कारण शासकीय धनराशि संबंधित के पास वर्षों तक लंबित रहती है ।

3/ अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसी राशि जो विभाग द्वारा शासन के पक्ष में प्राप्त की गई हो एवं जो संचित निधि में जमा कराने योग्य हो, तुरंत शासन के पक्ष में जमा की जाना चाहिये । संचित निधि से आहरण उपरांत अनुपयोगी रखी कोई राशि, शासकीय सेवकों के प्रदाय अग्रिम की असमायोजित राशि, यदि 15 दिवस से अधिक संचित निधि से बाहर रखी गई हो तो उस पर सामान्य भविष्य निधि की दर+3% की दर से ब्याज की वसूली संबंधित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जावेगी । 3 माह के पश्चात् भी शासकीय धनराशि संचित निधि से बाहर रहने पर अतिरिक्त रूप से 3% की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा ।

4/ उक्त कृत्य आचरण नियम के विरूद्ध होने के कारण संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है । अतः अनुरोध है कि इन निर्देशों का पालन करने हेतु अधीनस्थों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन. मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

Source: Pustpatra 2011
Web- http://www.mp.gov.in/finance

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-7/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक२ /12/2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(ऑडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग